न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर0के0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक II/निगरानी/रीवा/भू0रा0/2018/0353 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–12–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 500/अपील/2017–18.

....

1. हरिवंश पटेल तनय सुदर्शन पटेल
2. पुष्पेन्द्र मणि मिश्रा तनय केशरी कुमार मिश्रा
3. सुभाष मिश्रा तनय केशरी कुमार मिश्रा
   सभी निवासी ग्राम देवरा, तहसील मनगंवा
   जिला– रीवा म.प्र.

——–आवेदकगण

विरूद्ध

1. रघुवीर पटेल तनय बुद्धी पटेल
2. महादेव पटेल तनय रामनाथ पटेल
3. शंकर पटेल तनय रामनाथ पटेल
   सभी निवासी ग्राम देवरा, तहसील मनगंवा
   जिला– रीवा म.प्र.

—— अनावेदकगण

श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री सुनील सिंह जौदोन, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 27/03/19)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत अधिनियम, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षित्प तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा के प्रकरण कमांक 90/अ–74/15–16 में पारित आदेश दिनांक 23–8–2016 के द्वारा आवेदक पुष्पेन्द्रसिंह एवं हरिवंश के नाम दर्ज करने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा

के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 30–11–2017 के द्वारा अपील स्वीकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आंयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 20–12–2017 के द्वारा अपील अग्रिम सुनवाई हेतु प्रचलन योग्य नहीं होने से ग्राह्यता के बिन्दु पर खारिज की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में आवेदक सुभाष मिश्रा ने एक आवेदन अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि हल्का पटवारी द्वारा ग्राम देवरी स्थित भूमि ख0नं0 104/2 एवं 487 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नाम परिवतर्नन कर दिया गया है, जिसे सुधारा जाये। अपर आयुक्त ने आवेदन अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा को भेजकर परीक्षण कर विधिअनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। अपर आयुक्त से आवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा ने प्रकरण कमांक 90/अ–74/15–16 में पारित आदेश दिनांक 23–8–2016 के द्वारा बिना अनावेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये तीन पेशी में बिना परीक्षण किये अंतिम आदेश पारित कर आवेदक पुष्पेन्द्रसिंह एवं हरिवंश के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित करने में त्रुटि की थी। अपर कलेक्टर ने विधिवत विस्तृत विवेचना कर यह पाया कि अनावेदक के नाम पूर्व से भूमि पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज चला आ रहा था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने परिवर्तित करने में त्रुटि की है। अपर कलेक्टर ने विस्तार से विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को नामांतरण/अभिलेख सुधार संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरूद्ध मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त अपील स्वीकार की है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी उचित पाया है और अपील को प्रचलन योग्य न पाते हुये गाह्यता के स्तर पर ही खारिज की है। अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में

हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

27/03/19

(आर0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर